# एस0सी0 एस0टी0-183/17
## मरौना थाना कांड सं0-22/16

दिनांक- 31.01.2019

कारधीन अभियुक्त पुनित यादव, पुलकित यादव, राम किशुन यादव की ओर से दाखिल जमानत प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण निर्दोष है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, उन्हें स्थानीय, जातिगत गंदी राजनीति के कारण इस केश झूठा फंसाया गया है, लगाया गया आरोपों में धारा 307,379 भा0द0वि0 एवं 3(i)(x) SC/ST Act को छोड़कर अन्य सभी आरोप जमानतीय हैं तथा ये आरोप मुकदमा को गंभीर बनाने के लिए जोड़ा गया है, ए0बी0ए0-723/16 द्वारा प्रार्थी पुलकित यादव एवं पुनित यादव को तथा ए0बी0ए0-741/16 द्वारा किशुन यादव को अग्रिम जमानत दिया गया था। जिसे माननीय उच्च न्यायालय के कि0अपील 568/17 द्वारा पोषणीयता के आधार पर खारीज किया गया था परंतु माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर आत्मसमर्पण नहीं किया जा सका क्योंकि जीविको पार्जन के लिए बाहर चले गए थे और जमानत खारीज होने की जानकारी नहीं थी, अन्य सह अभियुक्त राजो यादव, साधु यादव, बुटन यादव, गंगा यादव, राजकुमार यादव उर्फ नेगर यादव, बदरी यादव को इस न्यायालय द्वारा तथा मुख्य अभियुक्त शिव कुमार यादव उर्फ गोनर यादव को माननीय उच्च न्यायालय के कि0अपील एस0जे0-3329/2017 द्वारा नियमित जमानत दिया जा चुका है। प्रार्थी दिनांक 24.01.19 को स्वतः आत्मसमर्पण किए तथा तब से कारा में हैं, अतः जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते हैं।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अपराध की प्रकृति देखते हुए प्रार्थीगण को जमानत पर मुक्त कराना न्यायोचित नहीं है, परंतु इस तथ्य में अपनी सहमति व्यक्त किए कि इन्हें विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत पर मुक्त किया गया था।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख, कांड दैनिकी का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद सूचक धनिक लाल दास के लिखित आवेदन के आधार पर प्रार्थीगण सहित कुल 20 प्राथमिकी अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 147,148,149,341,323,354ए,379,307,427 भा0द0वि0 एवं 3(i)(x) अनु0जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत यह कांड दर्ज किया गया। जिसमें सूचक ने सभी प्राथमिकी अभियुक्तों का नाम लेकर कहा है कि दिनांक 17.03.16 को 10:30 बजे दिन में सभी लोग हरवे हथियार से लैश, सूचक के गेहुं के खेत में जबरदस्ती घर बनाने लगे, सूचक वहां पहुंचे तथा मना किये तो सभी लप्पड़-थप्पड़ करने लगे, सूचक को बचाने के कम में उनके भतीजा सुरेश यादव आए तो उनको शिव कुमार यादव ने लोहे के रड से जान मारने के नियत से सर पर मारा जिससे सर फट गया तथा जख्मी, बेहोश होकर जमीन पर गिर गया जब सूचिका की भावो चनियां देवी पहुंची तो साधु यादव झोंटा पकड़कर लाठी डंडा से मारने लगा और बेनग्न कर दिया। चंदेश्वर दास, राजो दास एवं सुरेन्द्र दास को सभी आदमी ने मिलकर लाठी और लोहे के रड से मारकर जख्मि कर दिए, राजो यादव सूचक के भावो के नाक

से दो आना सोने का छक ले लिया और खेत में लगे फसल को बर्बाद कर दिया एवं घर पर आकर के लूट पाट किया।

सूचक के लिखित आवेदन से ही स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के विरूद्ध कोई भी विशिष्ट आरोप नहीं है अन्य सह अभियुक्त राजो यादव, साधु यादव, बुटन यादव, गंगा यादव, राजकुमार यादव उर्फ नेगर यादव, बदरी यादव को इस न्यायालय द्वारा तथा मुख्य अभियुक्त शिव कुमार यादव उर्फ गोनर यादव को माननीय उच्च न्यायालय के कि0अपील एस0जे0-3329/2017 द्वारा नियमित जमानत दिया जा चुका है। अनुसंधान पश्चात प्रार्थीगण के विरूद्ध आरोप पत्र भी समर्पित कर दिया गया है। यह सही है कि प्रार्थी मानीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत आत्मसमर्पण नहीं किए थे। परंतु इस संबंध में उनके द्वारा कहा गया कि माननीय उच्च न्यायालय से जमानत आवेदन खारीज होने का जानकारी उनको नहीं था और जीविको पार्जन के लिए बाहर चले गए थे तथा जानकारी मिलने पर स्वत: ही दिनांक 24.01.19 को आत्मसमर्पण किए तथा तब से कारा में है। फलस्वरूप उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्दे नजर प्रार्थीगण को जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित समझता हूँ, तदनुसार प्रार्थीगण की ओर से दाखिल जमानत आवेदन न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है, अत: प्रार्थी अभियुक्तों की ओर से मो0 10,000/- रू0 के व्यक्तिगत एवं समान राशि के दो-दो प्रतिभूओं के साथ बंधपत्र दाखिल करने पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है तथा निर्देश दिया जाता है कि एक जमानतदार प्रार्थीगण के नजदीकी रिस्तेदार होंगे तथा एक जमानत दार न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होंगे, तथा व्यक्तिगत रूप से अंडरटेकिंग दाखिल करेंगे कि प्रत्येक तिथि को न्यायालय में उचित पैरवी करेंगे, न्यायालय के आदेश पर सदेह उपस्थित रहेंगे, लगातार दो तिथि तक अनुपस्थित रहने पर विद्वान न्यायालय बंध पत्र रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी, किसी भी साक्षी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करेंगे, तथा वाद के त्वरित निस्तारण में सहयोग करेंगे।

अपर सत्र न्यायाधीश,
प्रथम, सुपौल